प्र. 426/2010 सायर व अन्य V/s नसीब व अन्य (2010/00032)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
14.11.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 37 व 39 के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली आज प्रत्यर्थी संख्या 10 की कायम मुकाम की कार्यवाही एवं अपीलार्थी अभिभाषक की ओर से दिनांक 14.10.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो पर बहस हेतु नियत है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2019 पर बहस करते हुए कमोबेश प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील मे पक्षकरान के मध्य राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थी/अपीलार्थी इस अपील को अब आगे चलाना नही चाहता है ओर न ही उक्त अपील मे आगे कोई कार्यवाही चाहता है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। अतएव न्यायहीत मे अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को आगे नही चलाये जाने से जरिये विड्रो दाखिल दफ्तर किया जाना आवश्यक है। अन्त मे अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया है कि इसी आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को आगे नही चलाये जाने से जरिये विड्रो दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विड्रो प्रार्थना पत्र के साथ केवल अपीलार्थी संख्या 02 श्री लाला पुत्र हैदर अर्थात एक ही अपीलार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्तुत अपील मे इसके अलावा अन्य दो अपीलार्थी (अपीलार्थी संख्या 01 सायर पुत्र हैदर एवं अपीलार्थी संख्या 03 श्री नूरा पुत्र हैदर) भी दर्ज है। साथ ही प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी अभिभाषक की बहस सुने जाने के दौरान राजीनामा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत जानकारी चाहने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान के मध्य मौखिक राजीनामा किया गया है अतएव राजीनामा प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील विड्रो का प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2019 खारिज किया जाता है। इसी दौरान अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अपील को नोट प्रेस (Notpressed) के आधार पर निस्तारित करने हेतु निवेदन किया गया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी / प्रार्थी अभिभाषक द्वारा नोट प्रेस (Notpressed) के आधार पर अपील का निस्तारण करते हुए इसी स्तर पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Notpressed 14/11/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.19 11:56:39 IST
Reason: SelfAttested